राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक : 4 (1) चिस्वा / ग्रुप –2 / 2010 / 62 दिनांक 13-6-11

आदेश

विषय :– राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के लिये "चिकित्सीय क्रय नीति"।

1.	**प्रस्तावना :**
	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, मेडिकल रिलीफ सोसायटी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों (ईएसआई) एवं आमजन के लिए दवायें तथा चिकित्सा उपकरणों के केन्द्रीयकृत क्रय एवं वितरण के कुशल प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये **"राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड"** का गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत निगम के रूप में किया गया है।
	राजस्थान सरकार के केबिनेट मीमो के पैरा 8 (ii) में अंकित नीति को नई औषधि क्रय नीति के रूप में अंगिकार किया गया है।
2.	**उद्देश्य :**
	नीति का प्रमुख उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयॉ निशुल्क उपलब्ध कराना है।
3.	**मुख्य बिन्दु :**
1.	वर्तमान में जारी दवाईयों की क्रय नीति को समाप्त कर नई औषधि क्रय नीति का निर्धारण किया जा रहा है।
2.	निगम के अन्तर्गत क्रय अधिमान राजकीय सार्वजनिक उपक्रम तथा राजकीय लघु उद्योग इकाईयों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिशत (10प्रतिशत सार्वजनिक फर्म / उपक्रम व 15 प्रतिशत लघु उद्योग इकाईयॉ) से अधिक नहीं होगा। परन्तु निविदा के जरिये प्राप्त न्यूनतम दर से मिलान करना अनिवार्य होगा।
3.	उपरोक्त औषधि क्रय नीति भविष्य में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के तहत क्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों, सर्जिकल, सूचर्स तथा अन्य अस्पताल उपकरणों इत्यादि की खरीद पर लागू होगी।

उपरोक्त नीति सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

(डॉ.समित शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज
कॉरपोरेशन जयपुर।